राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 8(1)त.शि./2014 जयपुर, दिनांक : 09 मई, 2017 /10

:: आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषानुसार राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों को, जिनकी जन्मतिथि उनके नाम के सम्मुख अंकित है, को कार्यभार सम्भालने की तिथि से प्रवक्ता, रसायन के पद पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 (अभियांत्रिकी) के अन्तर्गत वेतन श्रृंखला 15600–39100 में न्यूनतम ग्रेड–पे 5400/– में नियत वेतन 22180/– में अस्थायी रूप से 02 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम व पता	वर्ग	मैरिट क्रमांक	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान
1	श्रीमती पूनम सैनी पत्नी डॉ. सीताराम माली, निवासी रामतलाई, ग्राम आमावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर, पिन–332602	BC, WE	M-1	30.03.1991	राज.पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
2	श्री विकास कुमार सुरैला पुत्र श्री पूर्ण चंद सुरैला, निवासी मुकाम पोस्ट खेहरी, तहसील बानसूर जिला अलवर–301402	SC	M-2	06.08.1988	राज.पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, प्रतापगढ
3	श्री ओमाराम पुत्र श्री कालूराम निवासी नाड़सर, तहसील भोपालगढ–342005	BC, LD, NG	M-3	12.09.1987	राज.पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर

1. उक्त अभ्यर्थियों को 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ रूपये 22180/– पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
2. परिवीक्षाकाल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होगें, अर्थात् परिवीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
3. परिवीक्षाकाल में स्थिर परिलाभों में से कोई कटौतियां (यथा जी.पी.एफ. एवं स्टेट इंश्योरेन्स) नहीं की जायेगी और इन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं कार्यग्रहण करने पर यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा।
4. 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें प्रवक्ता पद की वेतन श्रृंखला 15600–39100 में ग्रेड–पे 5400/– देय होगी तथा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर इन्हें वेतन श्रृंखला में न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।
5. वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक : एफ 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 29.01.2004 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वित्त(नियम)विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ 12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 13(1)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन होगी।

7. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 15(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 01.01.1975 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी तत्पश्चात् ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।

8. **पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि में पदस्थापन स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर इनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।**

आज्ञा से,

(एम.एम.सतिया)
संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यकर्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र कमांक : एफ 7(53)भर्ती/गोपनीय/2013–14/536 दिनांक 16.03.2017 के कम में।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय।
6. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण करने दिया जाये। (रजिस्टर्ड)
7. संबंधित अधिकारी।
8. निजी /रक्षित पत्रावली।

9/5/2017

सहायक शासन सचिव
तकनीकी शिक्षा